

कार्यालय प्राम पंचायत - निकुञ्जपुरा  
 गोकारा स्थेष्ठ - उत्तरीगाँ  
 जनपद - बाजीपुर  
 प्राप्ति - १३५

दिनांक 23/05/23

**निष्पत्ति:-** जल जीवन विश्वास (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की दृक्षी एवं निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

सम्पादन

अवधार कराना ह कि दिनांक 23/05/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में नियासा करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बेटक की गयी। बेटक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, संख्यात, पार्षदिक / यूठाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनयाडी कार्यकर्ता / ग्रामियों, कोटंदार, ए०एन०ए० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उगत दृष्टक में ग्राम पंचायत सर्वाधिक द्वारा जल जायन विश्वास के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विभास किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियासा करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्वाचित यूजर चारों जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगति कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा नियासित लागत अंशदान एवं यूजर चारों जमा करने की सहमति दी गयी है। परियोजना के प्रतिक्रिया द्वारा दी गयी सहमति पथ संबन्ध है।

जल जीवन विश्वास के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

इन अनुसूचि है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कारोगाही कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

M.P. Singh  
 (Director)  
 Eshma Foundation  
 Varanasi(U.P)



ग्राम पंचायत-नियासा  
 ग्राम पंचायत.....  
 जिला-गांजीपुर

संलग्नक विक्रिया जायकरी (प०)  
 जायनिया, गांजीपुर।

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)



जल संवर्धी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो याम समुदाय के 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (याम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले याम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 23/05/23

याम सभा में अनुमोदन की तारीख: 12/07/23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. याम का नाम: लौहानपुरा

याम पंचायत का नाम: किलोनुपुरा

ब्लॉक का नाम: कुलनिधि

जिला का नाम: गाजियाबाद

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

याम जनगणना कोड:

(यदि लागत हो तो, वस्त्रियों की संख्या और उनके नाम)

I. याम पंचायत संकल्प

3. याम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मवेशी कुँड़ी को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन निर्धारित आधार पर अर्थात् ..... घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • याते..... एस.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 24. तक ..... यामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, याम समुदाय के लोग, अपनी अंतःयाम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनलव, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदर्भित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10% प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

\* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पर पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. याम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति नाव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(याम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पूँजीलव, र-वटका समिति

समिति को क्या कहा जाता है: पूँजीलव

अध्यक्ष का नाम: मामलवा लोहा

लिंग: पुरुष

आयु:



प्रधान  
वायरत...  
द्वा०-जलनियों गवाहारु  
निमाई  
M.P. Singh  
(Director)  
Cushma Foundation  
Varanasi(U.P.)

## III. सामाजिक विवरण

6. वर्तमान वयों का अनुमान:


वर्तमान वयों का अनुमान:	1004	वर्तमान वयों का अनुमान:	1225
	126		67
	408		196
	516		500
	140		77

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 41.1 किलोलीटर/दिन (के.एस.डी.) अंतिम घरण  
वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 57 किलोलीटर/दिन (के.एस.डी.)

8. वर्तमान मध्यस्थी संघर्ष (पशुपालन रिकॉर्ड): 750

9. कृषि फसल पैटर्न:



10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में):

160 से 165 mm

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि):

समतल

## IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या सासाधन मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं) हैं  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं) हैं  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

आगनवाड़ी	गोपनी	गोपनी	गोपनी	गोपनी
गोपनी	गोपनी	गोपनी	गोपनी	गोपनी
गोपनी	गोपनी	गोपनी	गोपनी	गोपनी

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंघया X दर: 120.11 के.एल.डी.

मध्यसियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 74 के.एल.डी.

मध्यसियों की आवश्यक संख्या: 2

मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंघया X दर: 44.11 के.एल.डी.

अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंघया X दर: 50 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/घटकात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकतालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकिया, रेत गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नहीं


18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल अनित रोगों का इतिवृत्त: हैंजा, नहरिपा, बालाहाट, पीलियां  
पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुद्राय के साथ जल गुणवत्ता की चौकरी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेशजल स्रोत (झोलौ) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_



कपड़े धोने / स्वान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गारीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्वान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_



## स्रोत स्थायित्र

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हॉनही)

25. गोंव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: **हृतुपम्प**  
गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): **33 : 18** के एल.टी.

अलग-अलग सौख्य गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: **5**

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सौख्य गड्ढों की आवश्यकता है: **2**

आवश्यक सामुदायिक सौख्य गड्ढों की संख्या: **3**

क्या अपरिषद तलाउ तालाब की आवश्यकता है? (हॉनही): **१५**

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: **(३५) दौल**

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से उन्नय उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

## V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.ओ.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.टी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.टी.एस.
- वाटर गिड/धोकीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सार्व ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. औ एकान्ता/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल-स्रोत: \_\_\_\_\_ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: \_\_\_\_\_

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: \_\_\_\_\_

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_

योजना की तारीख: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_

समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यवित्रित घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_

वार्षिक प्रधातन व रछ-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यवित्रित घरेलू नासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

## VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निपि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

प्रयोक्ता शुल्क	वार्षिक प्रधातन व रछ-रखाव शुल्क	व्यवित्रित घरेलू नासिक जल शुल्क	प्रयोक्ता शुल्क
प्रयोक्ता शुल्क	वार्षिक प्रधातन व रछ-रखाव शुल्क	व्यवित्रित घरेलू नासिक जल शुल्क	प्रयोक्ता शुल्क
प्रयोक्ता शुल्क	वार्षिक प्रधातन व रछ-रखाव शुल्क	व्यवित्रित घरेलू नासिक जल शुल्क	प्रयोक्ता शुल्क
प्रयोक्ता शुल्क	वार्षिक प्रधातन व रछ-रखाव शुल्क	व्यवित्रित घरेलू नासिक जल शुल्क	प्रयोक्ता शुल्क
प्रयोक्ता शुल्क	वार्षिक प्रधातन व रछ-रखाव शुल्क	व्यवित्रित घरेलू नासिक जल शुल्क	प्रयोक्ता शुल्क



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत बाटरेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बाटरेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषिम पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.डब्ल्यू.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिध्धाइ योजना (पी.एम.के.एस.डब्ल्यू.)	कृषि, सहकारिता और विकास कल्याण मंत्रालय	जल की खाधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंधाइ का प्रावधान, एवं लोकों से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, बन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, बाटरेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.डब्ल्यू.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समर्थ शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैदल जल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यव्रम्म	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियों बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियों अंतर्गत अवसरणना	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)	राज्य		
एम.पी.एल.ए.डी.	सांगठिकी और कार्यव्रम्म कार्यालय भवन मंत्रालय (एमओएसपीआई)		
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य		
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्गत अवसरणना	
दानदाता/प्रायोजक		अंतर्गत अवसरणना	

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: मनोज सिंह - घोषणा

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): \_\_\_\_\_

**संपर्क विवरण**

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी.पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:  
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकटी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. नीरा नीरा - घोषणा

2. पुनम - घोषणा

3. रतीमा - देवी

4. मुनी - देवी

5. सुखीला

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

सहायक विद्युत अधिकारी (पंप)  
जलनियं, गाजीपुर।

M.P. Singh  
(Director)  
Gushma Foundation  
Varanasi(U.P)

ग्राम पंचायत अधिकारी  
ग्राम पंचायत अधिकारी  
जलनियं, गाजीपुर (उपरोक्त)

